

Title: Increase in the compensation of people of relocated areas for Ruda, Bhadora, etc. as per Tiger Reserve Act.

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे आज फिर मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय क्षेत्र के बेहद मार्मिक विषय को रखने का अवसर दिया है।

सभापति महोदय, यों तो मैं इस विषय को तीन से चार बार लिखित रूप में और मौखिक रूप में दोनों ही तरह से सदन के माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्तुत कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से फिर से अपनी बात को वहाँ तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि यह बहुत संवेदनशील विषय है। यह मुझे चौथी बार इसलिए उठाना पड़ रहा है, क्योंकि यह मेरे क्षेत्र की मांग है। बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी की विधान सभा के रूदा, भदौरा और मझिगवां गांव में बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत विस्थापन की प्रक्रिया 21 जनवरी, 2008 को लागू की गई थी। उसके तहत तत्कालीन सरकार ने 13 अप्रैल, 2017 को विस्थापन की घोषणा की।

महोदय, तब से लेकर अब तक गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है, चूंकि राशि इतनी कम है, मैं कई बार केन्द्र सरकार को आग्रह कर चुकी हूँ, फिर से मैं आपके माध्यम से अपना निवेदन पहुंचाना चाह रही हूँ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप यह बात बता चुकी हैं।

श्रीमती रीती पाठक : महोदय, राशि इतनी कम है कि वह विस्थापित नहीं हो पा रहे हैं। गांव का एक व्यक्ति जो गरीब होता है, जो किसान होता है, जब वह गांव में घर बनाता है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी मांग रखिए।

श्रीमती रीती पाठक : सभापति महोदय, शून्य काल है।

माननीय सभापति : लेकिन एक मिनट की सीमा भी है।

श्रीमती रीती पाठक : मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे अपनी बात रखने का अवसर दें। जब वह गांव में अपना घर बनाता है तो सिर्फ मिट्टी का उपयोग नहीं करता है और न अपनी मेहनत का उपयोग करता है, वह उसमें अपनी संवेदना, अपनी भावना, अपने परिवार का प्यार, अपनी सोच और अपनी आशाएं उस कच्चे मकान में उपयोग करता है।

सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी केन्द्र सरकार की तीनों महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ, जो विस्थापन की प्रक्रिया के तहत उस गांव में निवासरत हैं, चाहे वह ?उज्ज्वला योजना? हो, ?प्रधान मंत्री आवास योजना? हो, चाहे ?सौभाग्य योजना? हो, पूरे देश के कोने-कोने में बिजली जगमगा रही है, लेकिन उस गांव तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहती हूँ और लगातार सबसे संवेदनशील विषय यहां पर इसलिए आया है कि वहां पर जो उनके जीवनयापन का स्रोत है, जो उनकी आय का स्रोत है, उसमें चाहे बकरी हो, गाय हो, भैंस हो और खासकर मनुष्य तक पर जंगली जानवरों के माध्यम से हमला किया जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे सभी लोग प्रभावित होते हैं।? (व्यवधान) मैं अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ और आग्रह कर रही हूँ कि परिसम्पतियों का मूल्यांकन ठीक तरह से हो। केन्द्र सरकार नियम के अनुसार तो मुआवजा दे रही है, लेकिन संवेदनाओं के आधार पर उनकी इस मुआवजे की राशि को बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे उनका जीवन सुरक्षित

और व्यवस्थित हो ।

माननीय सभापति : कृपया, एक मिनट की मर्यादा का ध्यान रखें, अन्यथा मैं अगला नाम बोल दूंगा ।